उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0: सी-40 /लेखा-1/2022-23 दिनांक 15.12.2022

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

विषय- सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन।

बैंक के परिपत्र संख्या सी-48/लेखा/ब्याज दर/2020-21, दिनांक 24.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सावधि जमा निक्षेप पर दिनांक 01.03.2021 से देय ब्याज दरों हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

अतः सावधि जमा पर अन्य व्यवसायिक/सहकारी तथा ग्रामीण बैंको की ब्याज दरों के तुलनात्मक तथा बैंक की वित्तीय तरलता को दृष्टिगत रखते हुये बैंक की सावधि जमा योजना मे परिपत्र जारी होने की तिथि से अथवा इसके पश्चात जमा व नवीनीकृत होने वाली सभी प्रकार की अवधि मे किये जाने वाली सावधि जमा निक्षेपो पर देय ब्याज दर निम्नवत होंगी:-

अवधि	ब्याज दरें
1 वर्ष की अवधि	7.00
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम अवधि	7.00
3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम की अवधि	6.50
5 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि हेतु	6.50

नोटः-1-वरिष्ठ नागरिको को उक्त ब्याज दरों से 0.5 प्रतिशत अधिक ब्याज दर का लाभ दिया जायेगा।

2-एक वर्ष से पूर्व परिपक्वतापूर्व निकासी की दशा में निम्न तालिका के अनुसार ब्याज दरें लागू होगीः-

अवधि	ब्याज दरें
7 दिन से 45 दिन तक	2.0 प्रतिशत
46 दिन से 179 दिन तक	3.5 प्रतिशत
180 दिन से 210 दिन तक	4.25 प्रतिशत
211 दिन से एक वर्ष से कम	4.75 प्रतिशत

3- एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त सावधि जमा का परिपक्वतापूर्व भुगतान करते समय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से 1.0 प्रतिशत की कटौती करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

पूर्व में निर्गत अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

15.12.22

(आर0 के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण , उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. प्राचार्य/उप महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास लि0 प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. प्रबन्धक (आई0टी0सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

15.12.22

प्रबन्ध निदेशक